O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. CTPPCL
Date 04 AUG 2023
AO (IT)
SE (O)/SE
EE
Section

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

सी.आई.एन:— U40108CT2003SGC015820

O/o ED (HR), CSPTCL, RAIPUR

क्रमांक :— 01—01 / अ.प्र.क. / 07 / 2023 / 4084   रायपुर, दिनांक - 4 AUG 2023

(अपील पंजीयन क्रमांक 07, दिनांक 08.06.2023)

श्री लव कुमार पटेल   अपीलार्थी
महासमुन्द

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार   उत्तरवादी
जनसूचना अधिकारी

—:: आदेश ::—

(दिनांक ....04/08/2023........को पारित)

अपीलार्थी श्री लव कुमार पटेल ने यह लेख करते हुए कि जनसूचना अधिकारी ने ना जवाब दिया ना दस्तावेज दिया स्पष्ट धारा 7(1) का उल्लंघन किया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :—

(I)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज ।	तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री संजय कुमार जैन ,कार्यालय — कार्यपालन यंत्री (सं. / सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि, सरायपाली में कार्य अवधि के दौरान व बाद में बी एम डब्लू कार लेने के पूर्व अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, प्रदाय अनुमति पत्र, संलग्न दस्तावेज, नियम की प्रमाणित छायाप्रति चाही गई है।	
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :—	जनसूचना अधिकारी ने ना जवाब दिया ना दस्तावेज दिया, स्पष्ट धारा 7(1) का उल्लंघन किया है। अतः मेरे द्वारा मांगी गई जानकारी मुझे प्रदाय करना चाहिए था।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :—
		04.07.2023	जनसूचना अधिकारी उपस्थित व अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी।
		28.07.2023	जनसूचना अधिकारी उपस्थित किन्तु अपीलार्थी पुनः अनुपस्थित रहें। अतएव प्रकरण में गुण—दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।
(IV)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क :—		जनसूचना अधिकारी कार्यालय —महाप्रबंधक (मा.सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि, रायपुर के पत्र क्रमांक 1534 दिनांक 28.04.2023 के माध्यम से अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 13.04.2023, धारा 6 (3) के अंतर्गत अंतरित प्रकरण के तहत इस कार्यालय में दिनांक 04.05.2023

			को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में धारा 5 (4) एवं (5) के तहत संबंधित प्रभाग के DPIO उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–एक, से सहायता ली गई। तत्संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतएव अपीलार्थी को उक्ताशय की जानकारी से निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 2888 दिनांक 31.05.2023 को (स्पीड पोस्ट) के माध्यम से अवगत कराया गया। उल्लेखनीय है कि सूचनाधिकार के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है।

(3) – सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा श्री संजय कुमार जैन, तत्कालीन कार्य. यंत्री (सं./सं.), छ.ग.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि, सरायपाली में कार्य अवधि के दौरान व बाद में बी एम डब्लू कार लेने के पूर्व अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, प्रदाय अनुमति पत्र, संलग्न दस्तावेज, नियम की प्रमाणित प्रति की मांग की गई है। तत्संबंध में तालिका (IV) के दृष्टिगत निर्धारित समयावधि के भीतर जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि वांछित जानकारी / दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः यह ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी / दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतएव जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही विधिसंगत है।

यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि सूचनाधिकार के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना / दस्तावेज देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध है। जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में सूचनाधिकार के प्रावधानुसार कर्तव्य का वहन किया गया है। वस्तुतः जनसूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही स्वीकार्य योग्य है। जनसूचना अधिकारी का पक्ष व कृत कार्यवाही अधिनियम के अधीन होने के कारण प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। अतः उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत यह अपील प्र.कं. 07 / 2023 दिनांक 08.06.2023 समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

(अशोक कुमार वर्मा)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक– 0771–2574700

प्रतिलिपि :–(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर ।

(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)– एक, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर ।

(3) श्री लव कुमार पटेल, ग्राम–तिलकपुर, पोस्ट–पथरला, व्हाया–जगदीशपुर, जिला–महासमुन्द

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर